

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्रमांक :— प.19 (5) सा.प्र./ग्रुप-4/16

जयपुर, दिनांक: 17/3/17

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान, जयपुर ।

विषय:— पंचम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्मानित पंचम एवं उनके समकक्ष श्रेणी के राजकीय आवास में परिवर्तन/परिवर्द्धन हेतु राशि रु. 4.06 लाख (अक्षरे चार लाख छः हजार मात्र) के व्यय के लिये राज्यपाल महोदय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

| क्र.सं. | आवास संख्या | कार्य का विवरण | राशि (लाखों में) | कुल राशि (लाखों में) |
|---------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | हेमाराम जी-839, गांधीनगर | 1. PVC water tank with fitting 500 ltr 2. Toilet Bath rention 3. Flush door 4. Iron gate 6x4 5. Window door 3x4 | 0.10 0.50 0.07 0.07 0.04 | 0.78 |
| 2 | आशुतोष शर्मा 5/5, गांधीनगर | 1. Const. of C/wall | 0.93 | 0.70 |
| 3 | मधुबाला सैन 5/95, गांधीनगर | 1. Renovation of Kitchen 2. Renovation of Bath 3. Replace of door | 0.36 0.27 0.13 | 0.76 |
| 4 | जगत बहादुर 5/16, गांधीनगर | 1. Raising of C/Wall 2. Renovation of Bath Room 3. Replace of Jali door 4. AC shed | 0.20 0.30 0.06 0.37 | 0.93 |
| 5 | मुकेश कुमार यादव 5/106, गांधीनगर | 1. Renovation of Bath room 2. Renovation of Kitchen 3. Replace of Jali door 4. Replace of Section | 0.30 0.30 0.15 0.14 | 0.89 |

यह व्यय बजट मद 2216—आवास (हाउसिंग) 05—साधारण पूल आवास, 800— अन्य व्यय (01) निर्माण [05] पंचम एवं छठवीं श्रेणी तथा अन्य आवासों के लिये, 16—लघु निर्माण कार्य (आयोजना भिन्न) में वर्ष 2016–17 में उपलब्ध प्रावधान में से वहन होगा।

कृपया यह सुनिश्चित करावे कि संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्यों पर ही राशि का व्यय किया जावे तथा कार्य पूर्ण करवाकर कम्पलीशन प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

इस विभाग के पत्र क्रमांक 19(1)सा.प्र.-4/2011 दिनांक 30.12.2011 के क्रम में लेख है कि समस्त संबंधित आवासियों से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः कार्य पूर्ण होने पर समस्त आवासियों से बजट का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जावे।

समस्त वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षापूर्ण सिद्धांतों की प्रत्येक स्तर पर पालना सुनिश्चित की जावे तथा आपके विभाग के परिपत्र कमाक (184)SE(B)/Circulars/C-144 दिनांक 13.07.2009 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

८०
(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नाकितं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर वृत्त जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-गा, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड-गा, जयपुर।
6. संबंधित आवासी।
7. रक्षित पत्रावली।


(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव (क)